

**तकनीकी प्रपत्र**  
**बिहार स्टेट मिक्ल को-ऑपरेटिव फेडरेशन**  
**डेयरी डेवलॉपमेन्ट काम्पलेक्स,**  
**पटना-14**

**निविदा प्रपत्र (बोलोरो हेतु)**

**पासपोर्ट साईज का**  
**फोटो स्वप्रमाणित यहाँ**  
**चिपकार्यें**

- 1) निविदाकर्ता का पूरा नाम :
- 2) स्थायी पता :
- 3) वर्तमान पता (दूरभाष के साथ) :
- 4) पैन नम्बर :
- 5) अग्रधन राशि का विवरण : बोलोरो जीप (ए0सी0) हेतु रू0 2000.00 (दो हजार रू0) का बैंक ड्राफ्ट जो बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क पोड्यर्सस फेडरेशन लि0 के नाम से पटना में भुगतये होगा, संलग्न करना आवश्यक है। सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि कार्य आवंटन के पश्चात् जमानत के रूप में रख ली जाएगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

क्रमांक	ए0सी0बोलोरो जीप वाहन संख्या	निर्माता	प्रकार	मॉडल / वर्ष	स्वयं का	अनुबंध पर	निबंधन सं0	पथकर कब तक भुगतान किया गया है	बीमा विवरण
---------	-----------------------------	----------	--------	-------------	----------	-----------	------------	-------------------------------	------------

- 6) अनुलग्नक: कृपया संलग्न करें :-  
वाहन प्रमाण पत्र के सभी छाया प्रति/जमा प्राप्ति प्रति जैसे निबंधन संख्या पथकर भुगतान, बीमा एवं मालिकाना प्रमाण, पैन की कॉपी आदि। कृपया ध्यान दें- वाहन का निबंधन वाणिज्यक उद्येश्य के लिए होना अनिवार्य है, अगर वाहन का निबंधन वाणिज्यक उद्योगय से नहीं है तो कार्यादेश प्राप्ति के तीन माह के अंदर वाहन का निबंधन वाणिज्य उद्योगय से कराना अनिवार्य होगा।
- 7) अतिरिक्त वाहन की संख्या एवं प्रकार जो उपलब्ध होगा, उसका विवरण, जिसे अल्पकालिक सूचना पर या ब्रेक डाउन में उपयोग किया जा सके।
- 8) जिस बैंक में आपका खाता है उसका नाम एवं खाता संख्या :
- 9) तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं के वाहन का निरीक्षण अभि0 शाखा द्वारा किया जायेगा एवं शाखा द्वारा वाहन की अच्छी स्थिति को प्रमाणित किये जाने को उपरान्त ही निविदादाता के पूर्ण रूप से सफल माना जायेगा एवं उनके निविदा (वित्तीय प्रपत्र) पर विचार किया जायेगा। निविदादाता निविदा प्रपत्र खुलने वाली तिथि एवं समय पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन को कॉम्फेड मुख्यालय, पटना में लाना सुनिश्चित करें।

हम/मैं यह घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा भरी गई सभी सूचनायें सत्य एवं सही है। मेरी जानकारी के अनुसार हम/मैं सभी नियम एवं शर्तों/दिशा-निर्देशों समय-समय पर कॉम्फेड प्रबन्धन द्वारा दिया जाएगा, उसका अक्षरशः पालन करूँगा। अगर हम/मैं विफल होता हूँ तो मेरा निविदा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार कॉम्फेड को होगा।

**निविदाकर्ता का हस्ताक्षर।**

बिहार स्टेट मिक्ल को-ऑपरेटिव फेडरेशन  
डेयरी डेवलॉपमेन्ट काम्पलेक्स,  
पटना-14

**वित्तीय प्रपत्र (बोलोरो हेतु)**

- 1) निविदाकर्ता का पूरा नाम :
- 2) स्थायी पता :
- 3) वर्तमान पता (दूरभाष के साथ) :
- 4) वाहन भाड़ा दर प्रति दिवस  
(डिजल, मोबिल की आपूर्ति  
कार्यालय द्वारा की जाएगी) :

**अन्य शर्तें निम्न प्रकार होगी :-**

- 1) डीजल एवं मोबिल की आपूर्ति निर्धारित औसत के अनुसार कॉम्फेड, मुख्यालय द्वारा की जाएगी। प्रति 10.0 (दस) किलो मीटर पर एक लीटर डीजल (ए0सी0 चलने या नही चलने पर दोनों स्थितियों में) एवं 1000 किलो मीटर पर एक लीटर मोबिल की आपूर्ति कॉम्फेड, मुख्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार लॉग बुक में प्रविष्टि करने के उपरान्त की जाएगी। आपूर्ति किए गए डीजल एवं मोबिल का हिसाब प्रति माह लॉग बुक के आधार पर किया जाएगा एवं अधिक आपूर्ति किए गए डीजल/मोबिल की कीमत यदि ऐसा हो, प्रतिमाह के विपत्र से कटौती कर ली जाएगी।
- 2) गाड़ी के लॉग बुक में वास्तविक तय की गई दूरी, कहीं से कहीं तक, किस कार्य से गाड़ी चलाई गई, आदि का प्रविष्टि चालक द्वारा की जायेगी एवं साथ चलने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा।
- 3) गाड़ी का माईलो मीटर हमेशा सही हालत में होना अनिवार्य होगा।
- 4) गाड़ी का मॉडल वर्ष 2017 या उसके बाद का होना चाहिए, गाड़ी अच्छी एवं सही हालत में निर्धारित दिन एवं समय पर कुशल व्यवहार वाले चालक (चालक की अधिकतम आयु 45 वर्ष) के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।
- 5) गाड़ी खराब होने अथवा किसी अन्य कारणवश नही उपलब्ध होने पर आपके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था पर दूसरी गाड़ी उपलब्ध करायी जाएगी। ऐसा नहीं करने पर यदि कॉम्फेड द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है तो इसकी प्रतिपूर्ति आपको करनी होगी।
- 6) प्रति माह के आधार पर भाड़े का भुगतान आपके द्वारा विपत्र प्रस्तुत करने पर, कॉम्फेड कार्यालय द्वारा किया जाएगा तथा जो वैधानिक कटौतियां होगी, उनकी कटौती विपत्र से की जाएगी।
- 7) भाड़े की राशि एवं आवश्यक मरम्मत हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
- 8) यदि पाया जाता है कि चालक कुशल एवं अनुशासित नहीं है तो तत्काल दूसरे चालक की व्यवस्था करनी होगी।

क्रमशः.....

- 9) समान्यतः ड्यूटी का समय 12 घंटों का होगा। ड्यूटी में समय परिवर्तन (यदि आवश्यक हो) की सूचना एक दिन पूर्व मौखिक रूप से दी जाएगी। 12 घंटा से अधिक घंटों में गाड़ी का उपयोग होने पर अनुपातिक रूप से प्रत्येक घंटे के लिए अलग से भुगतान किया जायेगा जिसके लिए उपयोगकर्ता को सत्यापन करना होगा।
- 10) आवश्यकता पड़ने पर रविवार अथवा राष्ट्रीय अवकाश एवं कॉम्पेड द्वारा घोषित अवकाश के दिन गाड़ी का उपयोग किया जा सकता है जिसका भाड़ा उपरोक्त नियत दर से देय होगा।
- 11) समान्यतया गाड़ी का व्यवहार बिहार राज्य में ही होगा परन्तु आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर भी जाना पड़ सकता है जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- 12) पुल भाड़ा यदि रास्ते में देय होता है तो इसका भुगतान आपके द्वारा किया जाएगा परन्तु उसकी प्रतिपूर्ति विपत्र के आधार पर की जाएगी।
- 13) सभी मोटर व्हेकिल रूल का पालन आपके द्वारा किया जाएगा जिसमें टैक्स, बीमा, वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स आदि का होना सम्मिलित है।
- 14) विपत्र का भुगतान आपके नाम एकाउन्ट पेई-चेक द्वारा किया जाएगा।
- 15) गाड़ी वर्तमान में एक वर्ष के लिए भाड़े पर रखी जायेगी परन्तु आवश्यकतानुसार अवधी अगले तीन वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, अवधी विस्तारित करने का अधिकार कॉम्पेड के पास सुरक्षित होगा। भाड़े पर गाड़ी रखने की आवश्यकता समाप्त होने पर दिया गया कार्यादेश स्वतः रद्द माना जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों स्वीकार है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर।

**तकनीकी प्रपत्र**  
**बिहार स्टेट मिक्ल को-ऑपरेटिव फेडरेशन**  
**डेयरी डेवलॉपमेन्ट काम्पलेक्स,**  
**पटना-14**

**निविदा प्रपत्र (स्कॉर्पियों हेतु)**

**पासपोर्ट साईज का**  
**फोटो स्वप्रमाणित यहाँ**  
**चिपकायें**

- 1) निविदाकर्ता का पूरा नाम :
- 2) स्थायी पता :
- 3) वर्तमान पता (दूरभाष के साथ) :
- 4) पैन नम्बर :
- 5) अग्रधन राशि का विवरण : स्कॉर्पियों (ए0सी0) हेतु रू0 2000.00 (दो हजार रू0) का बैंक ड्राफ्ट जो बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिक्ल पोड्यर्सस फेडरेशन लि0 के नाम से पटना में भुगतये होगा, संलग्न करना आवश्यक है। सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि कार्य आवंटन के पश्चात् जमानत के रूप में रख ली जाएगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

क्रमांक	ए0सी0 स्कॉर्पियों वाहन संख्या	निर्माता	प्रकार	मॉडल /वर्ष	स्वयं का	अनुबंध पर	निबंधन सं0	पथकर कब तक भुगतान किया गया है	बीमा विवरण
---------	-------------------------------------	----------	--------	---------------	-------------	--------------	---------------	-------------------------------------	---------------

- 6) अनुलग्नक: कृपया संलग्न करें :-  
वाहन प्रमाण पत्र के सभी छाया प्रति/जमा प्राप्ति प्रति जैसे निबंधन संख्या पथकर भुगतान, बीमा एवं मालिकाना प्रमाण, पैन की कॉपी आदि। कृपया ध्यान दें- वाहन का निबंधन वाणिज्यक उद्येश्य के लिए होना अनिवार्य है, अगर वाहन का निबंधन वाणिज्यक उद्योगय से नहीं है तो कार्यादेश प्राप्ति के तीन माह के अंदर वाहन का निबंधन वाणिज्य उद्योगय से कराना अनिवार्य होगा।
- 7) अतिरिक्त वाहन की संख्या एवं प्रकार जो उपलब्ध होगा, उसका विवरण, जिसे अल्पकालिक सूचना पर या ब्रेक डाउन में उपयोग किया जा सके।
- 8) जिस बैंक में आपका खाता है उसका नाम एवं खाता संख्या :
- 9) तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं के वाहन का निरीक्षण अभि0 शाखा द्वारा किया जायेगा एवं शाखा द्वारा वाहन की अच्छी स्थिति को प्रमाणित किये जाने को उपरान्त ही निविदादाता के पूर्ण रूप से सफल माना जायेगा एवं उनके निविदा (वित्तीय प्रपत्र) पर विचार किया जायेगा। निविदादाता निविदा प्रपत्र खुलने वाली तिथि एवं समय पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन को कॉम्फेड मुख्यालय, पटना में लाना सुनिश्चित करें।

हम/मैं यह घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा भरी गई सभी सूचनायें सत्य एवं सही है। मेरी जानकारी के अनुसार हम/मैं सभी नियम एवं शर्तों/दिशा-निर्देशों समय-समय पर कॉम्फेड प्रबन्धन द्वारा दिया जाएगा, उसका अक्षरशः पालन करूँगा। अगर हम/मैं विफल होता हूँ तो मेरा निविदा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार कॉम्फेड को होगा।

**निविदाकर्ता का हस्ताक्षर।**

बिहार स्टेट मिक्ल को-ऑपरेटिव फेडरेशन  
डेयरी डेवलॉपमेन्ट काम्पलेक्स,  
पटना-14

वित्तीय प्रपत्र (स्कॉर्पियों हेतु )

- 1) निविदाकर्ता का पूरा नाम :
- 2) स्थायी पता :
- 3) वर्तमान पता (दूरभाष के साथ) :
- 4) वाहन भाड़ा दर प्रति दिवस  
(डीजल, मोबिल की आपूर्ति  
कार्यालय द्वारा की जाएगी) :

अन्य शर्तें निम्न प्रकार होगी :-

- 1) डीजल एवं मोबिल की आपूर्ति निर्धारित औसत के अनुसार कॉम्फेड, मुख्यालय द्वारा की जाएगी। प्रति 10.0 (दस) किलो मीटर पर एक लीटर डीजल (ए0सी0 चलने या नहीं चलने पर दोनों स्थितियों में) एवं 1000 किलो मीटर पर एक लीटर मोबिल की आपूर्ति कॉम्फेड, मुख्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार लॉग बुक में प्रविष्टि करने के उपरान्त की जाएगी। आपूर्ति किए गए डीजल एवं मोबिल का हिसाब प्रति माह लॉग बुक के आधार पर किया जाएगा एवं अधिक आपूर्ति किए गए डीजल/मोबिल की कीमत यदि ऐसा हो, प्रतिमाह के विपत्र से कटौती कर ली जाएगी।
- 2) गाड़ी के लॉग बुक में वास्तविक तय की गई दूरी, कहां से कहां तक, किस कार्य से गाड़ी चलाई गई, आदि का प्रविष्टि चालक द्वारा की जायेगी एवं साथ चलने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा।
- 3) गाड़ी का माईलो मीटर हमेशा सही हालत में होना अनिवार्य होगा।
- 4) गाड़ी का मॉडल वर्ष 2017 या उसके बाद का होना चाहिए, गाड़ी अच्छी एवं सही हालत में निर्धारित दिन एवं समय पर कुशल व्यवहार वाले चालक (चालक की अधिकतम आयु 45 वर्ष) के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।
- 5) गाड़ी खराब होने अथवा किसी अन्य कारणवश नहीं उपलब्ध होने पर आपके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था पर दूसरी गाड़ी उपलब्ध करायी जाएगी। ऐसा नहीं करने पर यदि कॉम्फेड द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है तो इसकी प्रतिपूर्ति आपको करनी होगी।
- 6) प्रति माह के आधार पर भाड़े का भुगतान आपके द्वारा विपत्र प्रस्तुत करने पर, कॉम्फेड कार्यालय द्वारा किया जाएगा तथा जो वैधानिक कटौतियां होगी, उनकी कटौती विपत्र से की जाएगी।
- 7) भाड़े की राशि एवं आवश्यक मरम्मत हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।

- 8) यदि पाया जाता है कि चालक कुशल एवं अनुशासित नहीं है तो तत्काल दूसरे चालक की व्यवस्था करनी होगी।
- 9) समान्यतः ड्यूटी का समय 12 घंटों का होगा। ड्यूटी में समय परिवर्तन (यदि आवश्यक हो) की सूचना एक दिन पूर्व मौखिक रूप से दी जाएगी। 12 घंटा से अधिक घंटों में गाड़ी का उपयोग होने पर अनुपातिक रूप से प्रत्येक घंटे के लिए अलग से भुगतान किया जायेगा जिसके लिए उपयोगकर्ता को सत्यापन करना होगा।
- 10) आवश्यकता पड़ने पर रविवार अथवा राष्ट्रीय अवकाश एवं कॉम्पेड द्वारा घोषित अवकाश के दिन गाड़ी का उपयोग किया जा सकता है जिसका भाड़ा उपरोक्त नियत दर से देय होगा।
- 11) समान्यतया गाड़ी का व्यवहार बिहार राज्य में ही होगा परन्तु आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर भी जाना पड़ सकता है जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- 12) पुल भाड़ा यदि रास्ते में देय होता है तो इसका भुगतान आपके द्वारा किया जाएगा परन्तु उसकी प्रतिपूर्ति विपत्र के आधार पर की जाएगी।
- 13) सभी मोटर व्हेकिल रूल का पालन आपके द्वारा किया जाएगा जिसमें टैक्स, बीमा, वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स आदि का होना सम्मिलित है।
- 14) विपत्र का भुगतान आपके नाम एकाउन्ट पेई-चेक द्वारा किया जाएगा।
- 15) गाड़ी वर्तमान में एक वर्ष के लिए भाड़े पर रखी जायेगी परन्तु आवश्यकतानुसार अवधी अगले तीन वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, अवधी विस्तारित करने का अधिकार कॉम्पेड के पास सुरक्षित होगा। भाड़े पर गाड़ी रखने की आवश्यकता समाप्त होने पर दिया गया कार्यादेश स्वतः रद्द माना जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों स्वीकार है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर।